संख्या-2/2017/वीआईपी-20/18-2-2017-12(एस0पी0)/2010

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0, कानपुर।

3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्य पालक अधिकारी।
समस्त शासकीय नियंत्रणाधीन निगम/परिषद/प्राधिकरण/
स्वायत्तशाषी संस्थायें,उ0 प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 26 अप्रैल, 2017

विषयः-सरकारी विभागों एवं शासकीय नियन्त्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों को क्रय करने की अनिवार्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये उल्लेखनीय है कि प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर इकाइयों के महत्व तथा हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सरकारी विभागों एवं शासकीय नियन्त्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाओं, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों को क्रय किये जाने की अनिवार्यता विषयक शासनादेश संख्या-8/2016/548/18-2-2016-12(एस0पी0)/2010, दिनांक 12 अगस्त,

2016 निर्गत किया गया है, जिसमें 11 प्रकार के वस्त्रों को क्रय करने की अवधि शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 31-3-2019 तक कतिपय शर्तों के अधीन बढ़ायी गयी है।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिससे इन संस्थाओं से जुड़े लघु एवं कुटीर उद्योग तथा हथकरघा इकाईयों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। संदर्भित शासनादेश दिनांक 12 अगस्त, 2016के प्रस्तर-2(6) में यह भी व्यवस्था की गयी है कि किन्हीं विशेष अथवा अपरिहार्य कारणों से कोई विभाग उक्त क्रय अनिवार्यता से छूट चाहते हैं तो वह अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग को भेज सकते हैं किन्तु इस संबंध में किसी विभाग से कोई प्रस्ताव भी प्राप्त नहीं हुआ है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 12 अगस्त, 2016 का कड़ाई से एवं प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदेव

प्रतिलिपि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को इस आशय से प्रेषित कि कि समस्त निगमों/उपक्रमों को शासनादेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।